

[24/3/2022]


प्रश्न सं. [क. 4492]


अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4492

दिनांक 24.03.2022

परिशिष्ट "1"

क्र.	कक्षा	छात्र संख्या
1	कक्षा 1	9
2	कक्षा 2	10
3	कक्षा 3	11
4	कक्षा 4	11
5	कक्षा 5	12
6	कक्षा 6	39
7	कक्षा 7	44
8	कक्षा 8	29
9	कक्षा 9	94
10	कक्षा 10	140
योग		399


आर.के.त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक शिक्षण, म.प्र.

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।


प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रुपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/- किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को होगा ।



आर.के. त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



उप राशि,
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट-2

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बस्तर नगर, भोपाल

क्रमांक एक 44-30/20-2/2017

प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/2/2018


आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने / उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत ।

-0-

विभागीय आदेश क्रमांक एक 44-12/20-2/2008 दिनांक 25.08.2008 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2018 के अनुक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न-परिशिष्ट एक


13/2/18


उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एक 44-30/20-2/2017
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15-2-2018

- 1- निज सचिव मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।


आर.के. त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


13/2/18

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग